

समाज कल्याण विभाग  
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर  
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या - 112

दिनांक - 03.12.2019

प्रश्नकर्ता - श्री सही राम

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	वृद्धावस्था पेंशन योजना के नये आवेदन लेने कब से बंद हैं,	जिस भी विधान सभा में निर्धारित कोटा पूर्ण हो चुका है वहां नये आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं। परन्तु जिन विधानसभा में रिक्तियाँ पूर्ण नहीं हुई हैं, वहां तथा माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली एवं समाज कल्याण मंत्री को आबंटित विशेष कोटा के तहत आवेदन जमा किये जा रहे हैं।
(ख)	इससे पूर्व तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है,	तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में कुल 3614 (अक्टूबर 2019 तक) लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है,
(ग)	वृद्धावस्था पेंशन योजना के पुनः आवेदन लेने कब से शुरू होंगे,	उपरोक्त (क) के अनुसार। वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियों के आबंटन के लिए सरकार द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।
(घ)	क्या इस विषय पर सरकार ने कोई सूचना जारी की है, और	उपरोक्त 'ग' के अनुसार।
(ङ)	यदि वृद्धावस्था पेंशन योजना पुनः शुरू होती है तो उसके तहत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवेदकों का कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?	अभी इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

*With the prior approval  
of Competent Authority.*

*Neuwalay*  
Dy. Director (FAS)  
Dept. of Social Welfare  
Govt. of N.C.T. of Delhi  
B.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
New Delhi-110002